झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02. त0शि0/योजना–20/2023/15/योजना /राँची, दिनांक– 07.08.2023

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, राँची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची में डीप बोरिंग एवं पम्प सेट अधिष्ठापन सहित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्राक्कलित राशि रू0 10,77,421/– (रू0 दस लाख सतहत्तर हजार चार सौ ईक्कीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची के परिसर में पानी की सर्वसुलभत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची का पत्रांक 368 दिनांक 23.06.2023 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमंडल, राँची से परिसर में दो डीप बोरिंग के साथ जलापूर्ति की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात कार्यपालक अभियंता का पत्रांक 346 दिनांक 28.06.2023 द्वारा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची के परिसर में दो अदद नये डीप बोरिंग एवं पंप सेट अधिष्ठापन आदि कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल प्राक्कलित राशि रू0 10,77,421/– (रू0 दस लाख सतहत्तर हजार चार सौ ईक्कीस) मात्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रतिलिपि प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची को भी प्रेषित किया गया है। विषयांकित कार्य से संबंधित उक्त प्राक्कलन को प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची का पत्रांक 391 दिनांक 07.07.2023 द्वारा अनुशंसा के साथ अग्रसारित भी है। विषयांकित कार्य की विवरणी निम्नवत् है –

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	प्राक्कलन संख्या एवं तिथि	स्वीकृत प्राक्कलित राशि
1	Estimate for augmentation of water supply by construction of 2 Nos. HYDT of size 200 mm X 165 mm X 300 m deep with DTH hydraulic rig m/c & supplying and installation of submersible P/sets in HYDT all complete at Women's Polytechnic, Tharpakhna, Ranchi.	RR-18/2023-24 26.06.2023	10,77,421.00

अतः उक्त के आलोक में राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची के परिसर में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दो अदद नये डीप बोरिंग एवं पंप सेट अधिष्ठापन आदि कार्य के लिए कुल रू0 10,77,421/– (रू0 दस लाख सतहत्तर हजार चार सौ ईक्कीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खनन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

3. विषयांकित कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉत्रिक प्रमंडल, राँची, झारखण्ड की होगी जो तकनीकी स्वीकृति के साथ विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जायेगा। कार्य की प्रगति के संबंध में पर्यवेक्षण प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची द्वारा करते हुए प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायेगी।
4. स्वीकृत्यादेश निर्गत के पश्चात आवश्यकतानुसार आवंटन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉत्रिक प्रमंडल, राँची, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉत्रिक प्रमंडल, राँची, झारखण्ड होगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्ययन झारखण्ड PWD कोड़ के आलोक में आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्य पूर्ण करने के अवधि 01 माह होगी।
7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्रांक 2561 दि0 17.04.98 में निहित दिशानिर्देश एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों में निर्दिष्ट अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।
9. झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं0 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन की जायेगी।
10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉत्रिक प्रमंडल, राँची, झारखण्ड द्वारा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
11. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
12. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. झारखण्ड़ कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।
14. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार वित्त विभाग (अंकेक्षण) एवं महालेखाकार झारखण्ड़ राँची का होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

3.8.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 02. त0शि0/योजना–20/2023/15/योजना /राँची, दिनांकः– 07.08.2023
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.23

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 02. त0शि0/योजना–20/2023/15/योजना /राँची, दिनांकः– 07.08.2023
प्रतिलिपि :– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉत्रिक प्रमंडल, राँची, झारखण्ड/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/सहायक निदेशक–II को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.23

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)	(मनौवर आलम)	(गरिमा सिंह)	सरकार के सचिव
प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	निदेशक, तकनीकी शिक्षा	